Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2023 GISRRJ | Volume 6 | Issue 1 | ISSN : 2582-0095

महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण : झारखंड के विशेष सन्दर्भ में

कविता सिन्हा

शोधार्थी, पी.के.रॉय मेमोरियल कॉलेज, धनबाद

Article Info

Publication Issue :
Volume 6, Issue 1
January-February-2023
Page Number : 25-27

Article History
Accepted : 01 Feb 2023
Published : 25 Feb 2023

शोधसारांश – राजनीति में महिलाओं के बढ़ते कदम से न सिर्फ उनका आत्मविश्वास बढ़ा है बल्कि वे आर्थिक और सामाजिक रूप से भी सुदृढ़ बन रही है। उनमे निर्णय लेने की क्षमताओं मे भी वृद्धि हो रही है। उनका यह आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता राजनीति और सामाजिक गतिविधियों में प्रभावशाली बनाए जा रही है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी तभी अच्छी होगी जब महिला और पुरुष के बीच समानता का स्तर हो। महिलाओं को स्वयं के प्रतिनिधित्व के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए।

मुख्यशब्द – महिला, सशक्तिकरण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सहभागिता।

20वीं शताब्दी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है 'महिला सशक्तिकरण' । सशक्तिकरण एक बहुआयामी धारणा है। इसका संबंध व्यक्ति की सामाजिक उपलब्धियों, आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता से जुड़ा है। महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमे शक्ति निहित है। अर्थात समाज में परंपरागत रूप से चली आ रही अन्यायपूर्ण स्थितियों का तर्क की दृष्टि से विरोध करने व निर्णय लेने की क्षमता या सामर्थ्य है। महिला सशक्तिकरण संसाधनों पर नियंत्रण अथवा शक्ति हासिल करने और महिलाओं द्वारा निर्णय लेने की क्षमताओं पर बल देती है।

मेरी बुलस्टोन क्राफ्ट ने सन 1792 में 'विंडिकेशन ऑफ दि राइट्स ऑफ वीमन' पुस्तक लिखी जिसमें नारी के संबंध में सभी परंपरागत धारणाओं का खंडन करते हुए उसे पुरुष के समकक्ष बतलाया। सन 1869 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'दि सब्जेक्शन ऑफ वींमन' में जे. एस. मिल ने अकाट्य तर्कों के आधार पर महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर देने का प्रबल समर्थन किया।

1960 और 1970 के दशकों से महिलाओं से संबंधित समस्याओं के परिणामत: अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किए जाते रहे हैं। ऐसी गोष्ठियों और सम्मेलनों से भारत के संविधान में प्रदत स्त्री–पुरुष समानता के बारे में भी प्रचार हुआ है।

भारत में महिलाओं की आबादी 48.04% है फिर भी राजनीति में महिलाओं की भागीदारिता पुरुषों की अपेक्षा बहुत ही कम है जो कि एक चिंतनीय विषय है। 17वीं लोकसभा चुनाव में कुल 8049 उम्मीदवारों मे महिलाओं की संख्या सिर्फ 724 थी। जिसमे रिकार्ड 78 महिलाएं चुनाव जीत कर लोकसभा पहुंची । भारतीय राजनीति में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है जिसमे कुछ महिलाओं का नाम इस प्रकार है– इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, सोनिया गांधी, मेनका गांधी, प्रतिभा देवी सिंह पाटील, ममता बनर्जी, मायावती, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, जयललिता, निर्मला सीतारमन, मीरा कुमार आदि ।

महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में सशक्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा संविधान में 73वां तथा 74 वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतीराज तथा नगर निकायों में 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। 73वें संविधान संशोधन का परिणाम है

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Shauryam Research Institute. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

कि पंचायतों में विभिन्न पदों पर 163000 महिलाएं सरपंच पद पर सत्ता में आई । पुरुष प्रधान समाज में लंबे समय से उपेक्षा की शिकार तथा उन्ही के निर्देशों पर चलाने वाली उपेक्षित महिलाओं के लिए पंचायतों व स्थानीय निकायों में अपने लिए आरक्षित पदों के माध्यम से निर्वाचित होना एक सुखद आश्चर्य है। पंचायतों के लिए चयनित महिलाएं गाँव के समाज प्रतिनिधि के रूप में और भी अधिक सहायक सिद्ध हुई है।

झारखंड भारत का 28वां राज्य है, इसका गठन 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक के पारित होने के बाद हुआ । झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें, 14 लोकसभा और 6 राज्य सभा सीटें हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी 3,29,66,238 है जिनमें महिलाओं का हिस्सा 48.68% है, फिर भी झारखंड की राजनीति मे महिलाओं की भागीदारिता पुरुषों की तुलना मे काफी कम है। झारखंड विधानसभा में महिलाओं की स्थिति इस प्रकार है –

वर्ष	निर्वाचित महिलाएं	निर्वाचित पुरुष
2009	08	73
2014	09	72
2019	10	71

पंचायती राज संस्थाओं में लगभग 56% महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही है। झारखंड में आरक्षण के कारण पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारिता बढ़ी है जो इस प्रकार है–

मुखिया	2360
पंचायत समिति सदस्य	2444
जिला परिषद	246
वार्ड सदस्य	25698

ऊपर के डाटा को देखते हुए हम जरूर कह सकते हैं कि झारखंड में महिलाएं धीरे–धीरे राजनीति में रुचि लेती साफ नजर आ रही है। वर्तमान में गीताश्री उराँव, डॉ. नीरा यादव, अन्नपूर्णा देवी, गीता कोड़ा, निर्मला देवी, अम्बा प्रसाद, अर्पणा सेन गुप्ता, पूर्णिमा सिंह, रागिनी सिंह, सिनड्रेला आदि राजनीति में काफी सक्रिय है साथ ही साथ समाज और महिला का विकास का कार्य कर रही है।

महिलाओं की राजनीति में भागीदारिता तो जरूर बढी है फिर भी कई ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं कि उनकी जगह घर के पुरुष का वर्चस्व होता है, कई निर्णय उन महिलाओं की जगह उनके पति या फिर पुत्र लेते हैं और वो मात्र एक रबर स्टाम्प की भूमिका मे दिखाई देती है।

राजनीति में महिलाओं के बढ़ते कदम से न सिर्फ उनका आत्मविश्वास बढ़ा है बल्कि वे आर्थिक और सामाजिक रूप से भी सुदृढ़ बन रही है। उनमे निर्णय लेने की क्षमताओं मे भी वृद्धि हो रही है। उनका यह आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता राजनीति और सामाजिक गतिविधियों में प्रभावशाली बनाए जा रही है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी तभी अच्छी होगी जब महिला और पुरुष के बीच समानता का स्तर हो। महिलाओं को स्वयं के प्रतिनिधित्व के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए।

सन्दर्भ

1. फाड़िया, डॉ. बी. एल. – पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांत,(2008), साहित्य भवन पब्लिकैशन आगरा, पृष्ठ संख्या–134
2. सिन्हा, अनुज कुमार – शोषण, संघर्ष और शहादत, (2013), प्रभात प्रकाशन, पृष्ठ संख्या 383–384
3. कुमार, मुकेश– "महिला प्रतिनिधियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन: झारखंड के सन्दर्भ में", जर्नल ऑफ एडवांसेज एण्ड स्कालरली रेसचेनस इन अलाइड एजुकेशन(अंक –2), (2019), पृष्ठ संख्या 998–1003
4. दीवान, डॉ. रेणु – "झारखंड की महिलाएं; 2" (2004), बिहार ग्रंथ अकादमी, पटना, पृष्ठ संख्या– 76
5. मिश्रा, निमिषा– "समाज में महिलाओं की स्थिति" (2009), प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ संख्या –4–8